न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 27/2015 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
वजीर खान पुत्र असरफ खान जाति मुसलमान, निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली		1. कुशलराज पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली 2. प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खैरवा तहसील व जिला पाली 3. ग्राम पंचायत खैरवा, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा, तहसील व जिला पाली

पंचायत निगरानी :: 87/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. सत्यनारायण पुत्र फुसाराम सोनी निवासी खैरवा हाल धोला चौतरा, पाली 2. धनराज पुत्र फुसाराम सोनी निवासी खैरवा हाल सोमनाथ मंदिर के पास , पाली		1. कुशलराज पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खैरवा, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा, तहसील व जिला पाली

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम,</u>

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत(प.नि. 27/2015)
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित(प.नि. 87/2017)
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 23.10.2017

प्रार्थीगण की ओर से अलग–अलग निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, खैरवा के मिसल संख्या 44/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.07.2014 पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 15.10.2014 को विक्रय विलेख संख्या 44, ग्राम पंचायत खैरवा के द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। चूंकि दोनों ही पत्रावलियों में विवादित पट्टा, भूमि, गांव एवं पंचायत समान होने से प्रकरणों को club किया जाकर एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प.नि. 27/2015 में बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम खैरवा की आबादी भूमि को जरिये लिखित दिनांक 11.07.1978 को श्रीमती छोगी बाई बेवा मोतीलाल एवं बृजलाल, ओमप्रकाश बेटा पोता श्री चुन्नीलालजी सुनार निवासी खैरवा द्वारा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ग्राम विकास मण्डल खैरवा को सुपुर्द की थी। जो उनकी मालिकाना हक हकूक की पुश्तैनी भूमि थी। जिसका उपयोग आज तक विद्यालय के कार्यो हेतु करते आ रहे है। बाद में भूमि पर बने विद्यालय भवन के जर्जर अवस्था होने से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को दूसरी जगह स्थापित कर दिया एवं पंचायत द्वारा उक्त जर्जर भवन को गिराकर खाली प्लॉट कर दिया।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः:2

अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव जारी करवा दिया। जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। क्योंकि यह बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि थी एवं ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं था। जैर निगरानी भूमि छोगी बाई की पुश्तैनी भूमि थी तथा उसका उपयोग छोगीबाई द्वारा विद्यालय हेतु भेट कर दी थी। जिसका सार्वजनिक उपयोग हो रहा था। उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि की ग्राम पंचायत एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर सकती है। पट्टा जारी नहीं कर सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु जो आवेदन पेश किया गया उसके साथ पत्रावली कायम की गई जिसमें कहीं भी पत्रावली कायम करने व नक्शा बनाने हेतु शुल्क की रसीद का उल्लेख नहीं है। पंचायत द्वारा कायम की गई मिसल संख्या 44/2014–15 में आदेशिका लिखने वाले के ग्राम सेवक के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत की मिसल की आदेशिका दिनांक 05.04.2014 को पुश्तैनी भूमि बताया गया है। जबकि प्राथना पत्र में प्रार्थी ने 25 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होना बताया है। मौका निरीक्षण हेतु कमेटी में किन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया यह उल्लेख नहीं है न ही उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई उस पर दिनांक अंकित है। ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 20.05.2014 में वाद ग्रस्त भूमि पर दुकाने बनी हुई होने बाबत उल्लेख है तथा गवाहों के लिए गए बयानों में भी दुकाने निर्माण की हुई का उल्लेख है और निर्माण सामग्री भी पडी होना बताया। दुकाने वाणिज्य प्रयोजनार्थ निर्मित की जाती है। जिसका आबादी का विकय विलेख पंचायत द्वारा जारी किया गया वह खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का जो आपति नोटिस जारी किया गया है। वह कहां चस्पा किया गया है एवं किसके द्वारा चस्पा किया गया है उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी संकल्प के साथ ही पट्टा भी खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प.नि. 87/2017 में बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सगे भाई है ओर खैरवा के मूल निवासी है हाल पाली निवास करते है खैरवा आते–जाते रहते है एवं प्रार्थीगण की संयुक्त पुश्तैनी भूमि जिसका विभाजन आज दिन तक नहीं हुआ है। संयुक्त रूप से ही उपयोग करते आ रहे है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पडौस की भूमि पहले फुसाराम जी के नाम की थी उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त उसका उपयोग उनके वारिसान द्वारा किया जा रहा है। जिसे हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भुमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का 25 वर्षो से कब्जा है। इसलिए उसका पट्टा उसके नाम से बनाया जाए। कुशलराज की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। ऐसी स्थिति में 25 वर्ष पूर्व उसकी आयु 5 वर्ष थी एवं वह एक बच्चा मात्र होने से उसका आधिपत्य होना सही तथ्य नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलावट कर झूठे कथन करते हुए ग्राम पंचायत से पट्टा हासिल किया है। जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 1 की जैर निगरानी भूमि पुश्तैनी है। इस बाबत कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश नहीं किया है।

क्रमशः:3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 कुशलराज के बयानों में वादग्रस्त भूखण्ड उसके स्वयं के पिता ओमप्रकाश सोनी द्वारा खरीद किया जाना बताया है एवं पिता द्वारा खरीद किए गए भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बनाया गया है। जबकि पिता के नाम खरीदी गई सम्पति का पट्टा पुत्र के नाम पिता के जीवन काल में ही बनाया जा सकता हो। ऐसा पंचायत नियमों के काई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड उसके पिता द्वारा क्रय किया जाना बताया गया जबकि स्वतन्त्र गवाहों के बयानों में उसके बाप दादा के समय से पुराना कब्जा बताया गया है। दोनों ही विरोधाभाषी कथन है। इसलिए भी प्रस्ताव एवं विक्रय विलेख खारिज योग्य है। आदेशिकाओं में ग्राम सेवक के हस्ताक्षर कहीं नहीं है। भूखण्ड का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया एवं किस तारीख को बनाया गया दोनों का अभाव है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर पंचायत की मोहर नहीं है न ही नोटिस को किस स्थान पर चस्पा किया गया है। इसका पृष्ट भाग पर उल्लेख है। पट्टा कितना शुल्क लेकर जारी किया गया है। इसका उल्लेख पट्टे, मिसल एवं संकल्प संख्या 1 दिनांक 06.07.2014 में नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत नियमों के पालना करते हुए नहीं की गई है। जिससे पट्टा निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि जैर निगरानी भूमि अप्रार्थी कुशलराज के पिता ओमप्रकाश के द्वारा क्रय की हुई थी। जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार के विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ। मौके पर आज भी भूमि पर विद्यालय भवन नहीं है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी की दुकाने बनी हुई है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खैरवा भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा व उप जिला कलक्टर पाली के द्वारा रूबरू मौतबिरानों के बनाई गई। जिसमें विद्यालय संचालित नहीं होने का उल्लेख है। मौके पर कुशलराज पुत्र ओमप्रकाश का कब्जा है एवं वादग्रस्त भूखण्ड पर 15 बाई 15 की दो दुकाने एवं पक्का आवासीय भवन निर्मित है। दुकानें संचालित है एवं बिजली पानी का कनेक्शन किया हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी का कब्जा उक्त भूखण्ड पर निर्बाध रूप से आज भी है। उक्त भूखण्ड ओमजी सोनी ने छोगीबाई से क्रय किया था। जो पटवारी हल्का खैरवा की रिपोर्ट से स्पष्ट है। कुशलराज द्वारा नियमानुसार पंचायत में आवेदन किया गया एवं उसके पिता के समय से वादग्रस्त भुखण्ड पर कब्जा होने के कारण विक्रय विलेख बनाने हेतु निवेदन किया। अगर विद्यालय भवन था एवं वादग्रस्त भूखण्ड विद्यालय के नाम था तो शिक्षा विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करना चाहिए था। उनके द्वारा न तो बेदखली की कार्यवाही की गई न निगरानी पेश की गई न ही सिविल न्यायालय में स्वामित्व के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया न ही विद्यालय के नाम का कोई पट्टा या अन्य दस्तावेज है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मिसल कायम कर नक्शा बनाकर तीन वार्ड पंचों की कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आपति आक्षेप नोटिस जारी कर एवं मिसल पर निष्पक्ष व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध कर ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह विधि अनुरूप है। जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिस छोगीदेवी का उल्लेख प्रार्थीगण कर रहे है उसके स्वामित्व

क्रमशः:4

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं छोगीदेवी पत्नी मोतीलाल सोनी ने कभी भी वादग्रस्त भुमि बालिका विद्यालय को सुपूर्द नहीं की। छोगीदेवी द्वारा न तो बालिका विद्यालय को कब्जा दिया गया ओर न ही बालिका विद्यालय द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही खैरवा गांव में ग्राम विकास मण्डल जैसी कोई संस्था अस्तित्व में है। बालिका विद्यालय का भवन अन्यत्र बना हुआ है। वहां विद्यालय संचालित है। श्रीमान सचिव सर्तकता शाखा कलेक्टर पाली के द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण नहीं होना पाया गया एवं भूखण्ड पर मालिकाना हक मानते हुए सचिव जिला जन अभाव अभियोग सर्तकता समिति पाली के निर्णय दिनांक 21.09.2011 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निर्माण किए जाने की इजाजत दी गई थी एवं प्रार्थीगण की आपति खारिज की गई थी। ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग में भी कई शिकायतें की गई लेकिन सभी जगह प्रार्थी झुठे पाये गये। यह निगरानी प्रार्थी वजीर खान एवं सोनी परिवार के बीच रंजीश होने के कारण की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरवाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा बहाल रखा जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावलियों एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत द्रष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूखण्ड का विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें 25 वर्ष से अधिक समय का कब्जा होने के आधार पर जारी किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा जैर अपील भूखण्ड को पुश्तैनी मानकर दिया जाने का उल्लेख है। जबकि अप्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जैर निगरानी भूखण्ड उसके पिता द्वारा क्रय किया गया है। ऐसे में भूखण्ड को पुश्तैनी नहीं माना जा सकता हैं। पिता के द्वारा क्रय किए गए भूखण्ड का विक्रय विलेख उनके जीवन काल में उनके जीतेजी पुत्र के नाम जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उक्त भूखण्ड पर दुकाने निर्मित होना एक स्वीकार्य तथ्य है जो वाणिज्य प्रयोजनार्थ होती है एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूखण्ड का आबादी भूखण्ड के रूप में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है इस प्रकार जैर निगारानी भूखण्ड का पट्टा पंचायत नियमों की अवहेलना कर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आपति आक्षेप के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है। वह कहां चस्पा किया गया है उसके पृष्ट भाग पर यह अंकित नहीं है न ही इस बाबत प्रस्ताव लिया गया है न ही ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठन करने का प्रस्ताव प्रस्ताव रजिस्टर में लिया गया है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में शुकराना राशि का उल्लेख नहीं है न ही सभी प्रस्तावों में पट्टा जारी कराने वाले प्रार्थीगण जिनकी मिसले कायम की गई उनके नामों का उल्लेख है। मिसल में जो नक्शा संलग्न किया गया है। नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत की जैर निगरानी मिसल संख्या 44/2014–15 में मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पट्टा यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 06.07.2014 एवं ग्राम पंचायत खैरवा की मिसल संख्या 44/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2014 एवं उनकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 कुशलराज पुत्र ओमप्रकाश सोनी निवासी खैरवा तह. पाली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 15.10.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत खैरवा को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली